

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2015

क्रमांक 02 /स्था.सेवा/2015 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.07.2014 की अनुशंसा पर निम्नलिखित उप पंजीयकों को राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत वेतनमान 9300-34800 रूपये एवं ग्रेड वेतन 3600 रूपये पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वरिष्ठ उप पंजीयक के पद पर पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के समक्ष कालम नंबर-4 में दर्शाये गये स्थान पर उप पंजीयक कार्यालय में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

क्र	उप पंजीयक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री शक्ति सिंह गिरनार	उप पंजीयक कार्यालय इंदौर	उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय इंदौर
2	श्री उमाशंकर मिस्त्री	उप पंजीयक कार्यालय अलीराजपुर	उप पंजीयक कार्यालय दतिया
3	श्री द्वारका प्रसाद सोनी	उप पंजीयक कार्यालय उदयपुरा, जिला रायसेन	उप पंजीयक कार्यालय हरदा
4	श्री संतोष केवट	उप पंजीयक कार्यालय पिपरिया, जिला होशंगाबाद	उप पंजीयक कार्यालय शाजापुर
5	श्री राजेन्द्र मण्डलोई	उप पंजीयक कार्यालय धार	उप पंजीयक कार्यालय खरगौन
6	श्री एल.एन. पटवा	उप पंजीयक कार्यालय सिरोंज, जिला विदिशा	उप पंजीयक कार्यालय कटनी

उल्लेखनीय है कि बंद लिफाफों के प्रकरणों से सम्बन्धित जिन शासकीय सेवकों से कनिष्ठ शासकीय सेवकों को रिक्तियों की पूर्ति हेतु स्थानापन्न पदोन्नति दी जा रही है उनके पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी तथा आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित कनिष्ठतम लोक सेवकों को पदावनत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है।



(दीपाली रस्तोगी)

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश


क्रमशः : 2

पृ.क्र 31 /स्था.सेवा/2015

भोपाल दिनांक 06 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
4. जिलाध्यक्ष म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
5. क्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. क्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
7. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को तत्काल कार्यमुक्त करें। जिले में पदस्थ उप पंजीयकों के कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण की सूचना एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजें।
8. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
9. गोपनीय शाखा मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. संबंधित श्री उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय जिला म.प्र. की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि पदोन्नत स्थान पर सात दिवस में कार्यभार ग्रहण करें ।


 महानिरीक्षक पंजीयन
 मध्यप्रदेश